संख्या- ----/2026/---- /002-E-2036523

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2026

विषयः- आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 07 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 430.40 लाख (रुपये चार करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- ANY/2025-26/06/64 दिनांक 08.09.2026, पत्र संख्या- ANY/2025-26/06/67 दिनांक 11.09.2026, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 07 नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराये गए द्वितीय किश्त के प्रस्ताव / उपयोगिता प्रमाण पत्र के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि **रू0 430.40 लाख (रुपये चार करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र)** अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या- I/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 100.00 करोड के सापेक्ष निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा किये गए अनुरोध के क्रम में रू0 110.8315 करोड़ (रूपये एक सौ दस करोड़ तेरासी लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 55.4181 करोड़ (रूपये पचपन करोड़ इकतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य 12-आकांक्षी नगर योजना-35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" मद में प्रावधानित कुल धनराशि रू0 175.00 करोड (रुपये एक अरब पिचहत्तर करोड़ मात्र) में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में उल्लिखित 07 निकायों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -9 में उल्लिखित धनराशि **रू0 430.40 लाख (रुपये चार करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रु. लाख में)

क्र0 सं0	जिला	नगर पंचायत	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत (लाख में) जीएसटी+A&OI +I.E.C सहित	अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि (लाख में)	कार्य के सापेक्ष निविदा (लाख में)	कार्य के सापेक्ष कुल व्यय (लाख में)	कार्य के सापेक्ष द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि (लाख में) जीएसटी+A&OI +I.E.C सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-6)	
1	देवरिया	हेतिमपुर	1-वार्ड नं0-09 मे अत्येष्टि स्थल से पिच रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 2-वार्ड नं0-09 मे अत्येष्टि स्थल से पिच रोड तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 3-वार्ड न0 11 मे छठ घाट से शिव मंदिर होते हुए मुख्य मार्ग तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य 4-वार्ड न0 11 मे छठ घाट से शिव मंदिर होते हुए मुख्य मार्ग तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 5-वार्ड न0 03 मे राष्ट्रीय राजमार्ग/जगदीश मद्धेशिया	180.72	90.36	180.56	77.98	90.20	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अतः इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 90.20 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			के घर से प्राथमिक विद्यालय भुजौली तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य 6-वार्ड न0 03 मे राष्ट्रीय राजमार्ग/जगदीश मद्धेशिया के घर से प्राथमिक विद्यालय भुजौली तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 7-वार्ड नं0 14 में मुख्य बाजार से रामजानकी मंदिर तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 8-वार्ड नं0-07 में शिव मंदिर से प्राथमिक विद्यालय रमौली तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 9-वार्ड नं0 05 में प्राथमिक विद्यालय सिसवा से शिव मंदिर तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 10-वार्ड नं0 08 मे अत्येष्टि स्थल से ब्रह्म स्थल तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 11-वार्ड नं0 10 मे अत्येष्टि स्थल से पिच रोड तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य। 12-वार्ड नं0 10 मे उमेश निषाद के घर से वार्ड नं0 14 मे छठ घाट तक पथ प्रकाश लगाने का कार्य।						
2	महराजगंज	आनन्द नगर	1-वार्ड नम्बर-9 स्वतंत्र सेनानी पुरम में मेन रोड से आंगनवाडी केंद्र तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य 2-वार्ड नम्बर-9 स्वतंत्र सेनानी पुरम में मेन रोड से आंगनवाडी केंद्र तक नाली का निर्माण कार्य 3-वार्ड नम्बर-9 स्वतंत्र सेनानी पुरम में आंगनवाडी केंद्र से कम्पोजिट विधालय फरेंदा खुर्द तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य 4-वार्ड नम्बर-9 स्वतंत्र सेनानी पुरम में आंगनवाडी केंद्र से कम्पोजिट विधालय फरेंदा खुर्द तक नाली का निर्माण कार्य वार्ड नम्बर-8 गाँधी नगर में माधवपुर रोड से कम्पोजिट विधालय मथुरानगर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य 5-वार्ड नम्बर-8 गाँधी नगर में माधवपुर रोड से कम्पोजिट	71.77	35.88	71.60	35.72	35.72	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 35.72 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			विधालय मधुरानगर तक नाली का निर्माण कार्य 6-वार्ड नम्बर-5 पं0 दीन दयाल उपाध्य नगर में मेन रोड से प्राथमिक विधालय फूलवरीया तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य 7-वार्ड नम्बर-5 पं0 दीन दयाल उपाध्य नगर में मेन रोड से प्राथमिक विधालय फूलवरीया तक नाली का निर्माण कार्य 8-वार्ड नम्बर-05 में वाईपास से प्राथमिक विधालय फूलवरीया, वार्ड नम्बर-09 में मेन रोड से आंगनवाडी व आंगनवाडी केंद्र से कम्पोजिट विधालय फरेंदा खुर्द, वार्ड नम्बर-08 में माधव पुर रोड से कम्पोजिट विधालय मधुरा नगर एवं वार्ड नम्बर-04 गनेशपुर में रोड से प्राथमिक विधालय निरनाम पूर्वी में 7 मीटर आक्टागोनल पोल एवं एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट (सभी उपकरणों सहित) की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य						
3	कुशीनगर	तमकुहीनगर	1-वार्ड नं0.1 में प्राथमिक विद्यालय से कुटिया माता स्थान तक पोल सहित स्ट्रीट लाईट के स्थापना का कार्य 2-वार्ड नं0.12 में मेन रोड से अन्त्येष्टि स्थल तक इण्टरलार्किंग का निर्माण कार्य 3-वार्ड नं0.7 में वी०एम०सी०टी० रोड से शिव मंदिर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य 4-वार्ड नं0.9 में वनस्पती माता स्थान वाले मार्ग का सी०सी० रोड निर्माण कार्य 5-वार्ड नं0.12 में वी०एम०सी०टी० मार्ग से पिजवा धाम सड़क पर पोल सहित स्ट्रीट लाईट के स्थापना का कार्य 6-वार्ड नं0.7 में वेंडिंग जोन की स्थापना का कार्य 7-वार्ड नं0.12 में पिजवा धाम से अन्त्येष्टि स्थल तक इण्टरलार्किंग सड़क का निर्माण कार्य 8-वार्ड नं0.2 में समउर मेंन पिच रोड से अन्त्येष्टि स्थल जाने वाले मार्ग में चोकट के खेत तक इण्टलार्किंग निर्माण कार्य	86.71	43.35	86.69	43.33	43.34	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 43.34 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			9-वार्ड नं0.2 में अन्त्येष्टि स्थल तक जाने वाले मार्ग चोकट के खेत से रमाशंकर के खेत तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य						
4	लखीमपुर खीरी	निघासन	1-नगर पंचायत निघासन में मोहनलालपुरवा इंटरलाकिंग रोड से आंगनवाडी केन्द्र तक सी.सी. रोंड निर्माण कार्य। 2-नगर पंचायत निघासन में हीरालालपुरवा आंगनवाडी केन्द्र तक सी.सी. रोंड निर्माण कार्य। 3-नगर पंचायत निघासन मे आंगनवाडी केन्द्र-21, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय-09, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एंव उपकेन्द-03 में प्रकाश व्यवस्था हेतु 100 नग 75-90 वाट स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कार्य। 4-नगर पंचायत निघासन में पी0डब्लू0डी0 रोड से समुदायिक उपकेन्द्र तक सी.सी. रोंड निर्माण कार्य। 5-Supply, Installation, Testing & Commissioning of IP CCTV System at Nagar Panchayat Nighasan Kheri	74.83	37.41	74.23	37.41	36.82	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 36.82 लाख द्वितीय किश्त में देय है।
5	सिद्धार्थनगर	बढ़नी चाफा	1-नगर पंचायत बढ़नी चाफा के अहिरौला मे पिच रोड से कम्पोजिट विद्यालय जूनियर हाई स्कुल तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 2-नगर पंचायत बढ़नी चाफा के सेखुईताज में पिच रोड से कम्पोजिट विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 3-नगर पंचायत बढ़नी चाफा के धर्मपुर में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 4-नगर पंचायत बढ़नी चाफा के बरघाट मे पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 5-नगर पंचायत बढ़नी चाफा के शेखडीह में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 6-नगर पंचायत बढ़नी चाफा के जोगिया में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक	172.52	86.26	171.85	65.39	85.59	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 85.59 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 7-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के गोदुटवा में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 8-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के किफायतडीह में रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 9-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के वडहरा में पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 10-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के सुहेलवा 02 पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 11-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के नन्दडीह मे पिच रोड से कम्पोजिट विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 12-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के सिरसिया मे पिच रोड से कम्पोजिट विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 13-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के सिरसिया मे पिच रोड से कम्पोजिट विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 14-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के गहिरौला मे प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 15-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के खवह मे पिच रोड से कम्पोजिट विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 16-नगर पंचायत वढ़नी चाफा के वंगलवा नानकार मे पिच रोड से विद्यालय तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य। 17-नगर पंचायत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य						
6	आजमगढ़	मार्टिनगंज	1-वार्ड नंवर 3 अटल नगर में गुड्डू के घर में प्राथमिक विद्यालय मुरहान में अंवेडकर	156.67		78.33	156.67	78.33	78.34	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं

				की मूर्ति तक मीमी रोड का निर्माण 2-वार्ड न० 1 अम्बेडकर नगर दयाराम के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड का निर्माण 3-वार्ड नंबर 3 अटल नगर में खडंजे में अंत्येष्टि स्थल तक इंटरलॉकिंग कार्य 4-वार्ड नंबर 3 अटल नगर में देवेंद्र राजभर के घर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुरहन नक मीमी गैड का निर्माण 5-वार्ड नं0 9 वल्लभ भाई पटेल नगर PWD- मेन रोड में प्राथमिक विद्यालय कोटियापुर तक मीमी रोड का निर्माण 6-वार्ड नंबर 14 विवेकानन्द नगर में PWD- रोड से स्वास्थ उप केंद्र तक सीसी रोड का निर्माण 7-वार्ड नंबर 14 विवेकानन्द नगर शिवपुर में सिधारी यादव के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सीसी रोड का निर्माण 8-वार्ड नंबर 14 विवेकानन्द नगर में PWD- रोड से स्ट्रीट लाइट का कार्य स्वास्थ उप केंद्र तक 9-वार्ड नं0 11 महाराजा सुहेलदेव नगर मेन रोड से स्वास्थ उप केंद्र तक वाट लाइट का कार्य सुहलदेव 10-मेहजा मोड में CHC- तक स्ट्रीट लाइट का कार्य 11-वार्ड न0 08 तिलक नगर मे सुखाड़ी राजभर के घर से पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग रोड का कार्य						वित्तीय स्वीकृति के बराबर है अत: धनराशि के अनुरूप रू0 78.34 लाख द्वितीय किश्त में देय है।
7	सिद्धार्थनगर	उसका बाजार	1-मा० काशीराम नगर में प्राईमरी स्कूल से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 2-रामनगर वार्ड में प्राईमरी स्कूल से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 3-सुभाष नगर प्राईमरी स्कूल से मेन मार्केट तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 4-शिवाजी नगर वार्ड में प्राईमरी स्कूल से उसकी गांव तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	121.05	60.52	120.91	60.52	60.39	निविदा की धनराशि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से कम है अत: इसको निविदा की धनराशि के अनुरूप घटाते हुए रू0 60.39 लाख द्वितीय किश्त में देय है।

			5-अम्बेडकर नगर में पंचायत भवन से अम्बेडकर नगर सीमा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। 6-अशोक नगर में प्राईमरी स्कूल से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। 7-अम्बेडकर नगर में बन्धे से अन्त्येष्टि स्थल तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य। 8-नगर पंचायत उसका बाजार सीमान्तर्गत अर्बन हाटचेन्डिंग जोन का निर्माण कार्य। 9-नगर पंचायत उसका बाजार सिद्धार्थनगर में 90 वाट एल०ई०डी० लाईट आपूर्ति 10-सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन का कार्य।						
कुल धनराशि (लाख में)				864.27	432.11	862.51	398.68	430.40		

(रुपये चार करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र)

(1) उक्त निर्गत की जाने वाली धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
(2)इस संबंध में शासनादेश संख्या-396710/नौ-4-2023-कम्प्यूटर नं0 1745384, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से आकांक्षी नगर योजना की गाइड लाइन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि संबंधित निकाय (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
(3)अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही कार्यों हेतु व्यय की जायेगी ।
(4)धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(5)प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
(6)धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(7)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भकिये जाये।
(8)कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
(9)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(10)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड" पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(11)कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०) प्रेषित करने से पूर्व कार्यों का भौतिक सत्यापन अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं एक प्रशासनिक अधिकारी समिति से कराते हुए द्वितीय किश्त की मांग प्रेषित की जायेगी।
(12)लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
(13)कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी का होगा।
(14)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
(15)प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निकाय द्वारा नये एस०ओ०आर० के अनुसार आगणन का गठन कराते हुये उक्त आगणन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से प्रतिहस्ताक्षरित (सी०एस०) कराया जायेगा।
(16)प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य मद में किया जाय। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
(17)संबंधित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
(18)कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत "डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
(19)व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोसमयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा ।
(20)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का(विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व

होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।
(21)इस सम्बन्ध में लघु सूक्ष्म एवं माध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(22)स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(23) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा द्वारा 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(24) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21 दिनांक 30 जून, 2021 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1124/ नौ-9-2025-45ज/2021-ई-1749112 दिनांक 04 जून, 2025 द्वारा नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों को कराये जाने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।
(25) इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या- I/1049830/2025 दिनांक 06.08.2025 में उल्लिखित शर्तों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,30,40,000 (रुपये चार करोड़ तीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217808001200 आकांक्षी नगर योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAVINDRA SINGH
Date: 03-10-2026 13:15:38

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव

संख्या- ——/2026/————/002-E-2036523, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
7. संबंधित जिलाधिकारी।
8. संबंधित अधिशासी अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से) ।
9. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ।
10. सहायक निदेशक (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त। (आय-व्ययक) ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन ।
12. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव